न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 197/2018/225 आर टी ए

1. जीत सिहं पुत्र स्व0 श्री मल सिहं जाति जट सिख, निवासीगण शाहपीनी, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
2. कुलविन्द्र कौर (पुत्री श्री जीत सिहं) धर्मपत्नि श्री गुरतेज सिहं जाति जट सिख, निवासीगण शाहपीनी, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

––

अपीलांट

बनाम

1. परमजीत कौर (पुत्री श्री जीत सिहं) धर्मपत्नि श्री राजविन्द्र सिहं उर्फ किन्दा जाति जटसिख, निवासी भगतपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट, जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया
प्रकरण संख्या 13/2017 अनवानी ''परमजीत कौर बनाम जीत सिहं आदि''

उपस्थित :–
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री खुशप्रीत सिहं अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–30.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए प्रस्तुत कर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 5 में वर्णित तहसील संगरिया के चक 15 एमजेडी के खाता सं0 9/8 में 0.936 हैक्टेयर, खाता सं0 55/53 में 0.112 है0 , खाता सं0 10/9 में 0.562 है0 व खाता सं0 7/6 में 0.721 है0 व खाता सं0 36/38 में 0.544 है0 व खाता सं0 19/17 में 0.253 है0 कुल 3.128 है0 भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा याचित की कि अपीलांट कथित 3.128 है0 भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2018 के अन्तर्गत अपीलांट को उक्त वर्णित 3.128 है0 भूमि के सम्बन्ध में रहन बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध फरमाया है। अपीलांट उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की चरण सं–5 में वर्णित कथित 3.128 है0 भूमि मानने में तथ्यात्मक भूल की है। वरवक्त दायरी दावा अपीलांट संख्या 1 की मात्र 1.733 है0 भूमि ही थी। रेस्पो0 सं0 1 ने यह वादपत्र दिनांक 30.01.2017 को प्रस्तुत किया था तथा उसने वर्तमान जमाबंदियां प्रस्तुत न कर पुरानी जमाबन्दियां प्रस्तुत कर कथित रूप से अपीलांट सं0 1 की 3.128 है0 भूमि का उल्लेख किया है। वस्तुतः

राजस्व न्यायालय की डिक्री दिनांक 12.05.2014 के अनुसरण में अपीलांट सं 1 को चक 15 एमजेडी के खाता सं 9/8 में 1.695 है0 व खाता सं 19/17 में 0.506 है0 तथा खाता सं 36/38 में 1.265 है0 कुल 3.466 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। अपीलांट सं 1 ने अपनी उक्त 3.466 है0 भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख दिनांक 14.09.2015 को 1.733 है0 भूमि अपीलांट सं0 2 को दान कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप अपीलांट सं 1 की मात्र 1.733 है0 भूमि ही शेष रही थी। वरवक्त दायरी दावा अपीलांट सं 1 की खातेदारी भूमि 1.733 है0 ही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यात्मक पहलु को नजरन्दाज कर कतई मनमाना तौर पर व पत्रावली पर प्रस्तुत अभीलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किये बिना कुल 3.128 है0 भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। रेस्पोडेंट सं 1 ने अपीलांट सं 2 के पक्ष में निष्पादित दानपत्र विलेख में उल्लेखित भूमि को अपने प्रार्थना पत्र में ना तो शामिल किया और न ही आज तक इस दानपत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी है। अपीलांट सं 1 के नाम शेष रही 1.733 है0 भूमि के संबंध में भी सम्पूर्ण भूमि के बाबत निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती बल्कि यदि रेस्पोंडेंट सं 1 को सहदायिक भी माना जाये तो इस 1.733 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.578 है0 भूमि की सीमा तक ही अपीलांट सं0 1 को निषिद्ध किया जा सकता था। रेस्पो0 सं 1 विधि अनुसार भी अपने पिता अपीलांट सं 1 के जीवन काल में प्रश्नगत भूमि में हित उत्पन्न नहीं होते । अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधीकार अधिनियम 2005 जो ''The Repealing and Amendent Act 2015'' के जरिये निरासित हो चुका है, के प्रावधानों को नजरअन्दाज किया है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर 1988 पेज 576, आरबीजे 1998 (5) पेज 92, एआईआर 1973 पेज 173 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के गलत व झूठे तथ्यों पर अपील पेश की गई है।अपीलांट सं. 1 के नाम कुल 5.539 है0 आराजी थी जिसमे से अपीलांट सं. 1 द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.06.2004 चक 21 एएमपी की 0.881 है0 आराजी बेचान की, जिसका नामान्तरण सं. 241 दिनांक 25.06.04 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ तथा उसके उपरांत चक 15 एमजेडी की 0.337 है0 आराजी जरिये बैयनामा दिनांक 19.04.2012 बैय की, जिसका नामान्तरण सं. 505 दिनांक 20.07.2012 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ तथा उसके उपरांत चक 15 एमजेडी मे 0.675 है0 आराजी जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 25.05.2009 बैय की जिसका नामान्तरण सं. 431 दिनांक 06.07.2009 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ इस प्रकार अपीलांट सं. 1 द्वारा अपने वैद्य हिस्सा से अधिक 1.893 है0 कुल आराजी बैचान कर दी गई जिसके उपरांत दिनांक 12.05.2014 के अनुसरण मे जीतसिंह के नाम 3.466 है0 आराजी जरिये खाता विभाजन डिक्री प्राप्त हुई तथा 3.466 है0 आराजी मे अपीलांट सं. 2 व रेस्पो0 सं. 1 का 1.733 है0 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत था, जिसमे अपीलांट सं. 1 द्वारा अपीलांट सं. 2 के पक्ष मे जरिये दान पत्र 1.733 है0 आराजी दान कर दी गई जो जीतसिंह दान करने का अधिकारी नही था क्योंकि जीतसिंह अपने हक व हिस्से की आराजी से अधिक आराजी पूर्व मे ही बैय कर चुका था। वर्तमान मे जीतसिंह के नाम 1.733 है0 आराजी शेष रही है जो समस्त आराजी रेस्पो0 सं. 1 के हक हिस्से व कब्जा काश्त की है, इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो

पूर्णतया सही है। अपीलांट सं. 1 व 2 द्वारा पुलिस थाना संगरिया के समक्ष दिये गये प्रार्थना पत्र मे अपीलांट सं. 1 के नाम चक 6 एमजेडी मे 6 बीघा 15 बिस्वा आराजी को रहन, बैचान व दान नही करने बाबत तथा 6 बीघा 15 बिस्वा आराजी रेस्पो0 सं. 2 के हिस्से मे होने बाबत कथन किये है जिससे अपीलांटस विबंधित है। विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन अधिनियम 2015 के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्णतः विधि सम्मत है। न्यायिक दृष्टांत मे पुश्तेनी आराजी का बैयनामा खातेदार द्वारा करवाया गया था जिसे राजस्व मण्डल द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से तक बैयनामा नल व वोईड किया गया तथा को पार्शनर सम्पति मे अपने हक हिस्सा से ज्यादा किये गये अन्तरण को राजस्व न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया तथा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अपने नोशनल शेयर से ज्यादा आराजी को खातेदार काश्तकार अपने नाम का राजस्व रिकार्ड मे अंकन होने का फायदा उठाते हुए अन्तरण नही कर सकता। मौजूदा प्रकरण मे भी पुश्तैनी आराजी जो जीतसिंह को विरासतन प्राप्त हुई थी, के बैयनामे दिनांक 25.06.2004 को 0.881 है0 व दिनांक 19.04. 2012 को 0.337 है0 व दिनांक 25.05.2009 को 0.625 है0 इस प्रकार कुल 1.893 है0 आराजी जीतसिंह द्वारा अपने हक व हिस्से से ज्यादा बैय की है तथा उनके उपरांत 1. 733 है0 आराजी जीतसिंह द्वारा अपीलांट सं. 2 के पक्ष मे दान की गई है। इस प्रकार से जीतसिंह द्वारा अपने हिस्से की आराजी बैय की जा चुकी है तथा अपीलांट सं. 2 की हिस्से की आराजी उसे दान मे दी जा चुकी है, अब अपीलांट सं. 1 के नाम शेष 1.733 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड मे रही है जो रेस्पो0 सं. 1 के हक हिस्से की है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अत्यन्त सुसंगत व अहम दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2014 पेज 74, डीएनजे 2002 (3) पेज 1357, आरआरडी 1982 पेज 299, आरआरडी 2015 पेज 510 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटस खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरण सं. 241 बैयनामा दिनांक 07.06.2004 अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए प्रस्तुत कर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर तहसील संगरिया के चक 15 एमजेडी के खाता सं0 9/8 में 0.936 हैक्टेयर, खाता सं0 55/53 में 0.112 है0 , खाता सं0 10/9 में 0.562 है0 व खाता सं0 7/6 में 0.721 है0 व खाता सं0 36/38 में 0.544 है0 व खाता सं0 19/17 में 0.253 है0 कुल 3.128 है0 भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा याचित की कि अपीलांट कथित 3.128 है0 भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने बाबत अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2018 के अन्तर्गत अपीलांट को उक्त वर्णित 3.128 है0 भूमि के सम्बन्ध में रहन बैय व

मुन्तकिल करने से निषिद्ध फरमाया है। अपीलांटस का मुख्य तर्क यह है कि वादग्रस्त रेस्पो0 सं. 1 विधि अनुसार अपने पिता अपीलांट सं. 1 के जीवनकाल मे प्रश्नगत भूमि मे हित उत्पन्न नही होते है तथा अपीलांट के नाम शेष रही 1.733 है0 भूमि के संबंध मे भी सम्पूर्ण भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती बल्कि यदि रेस्पो0 सं. 1 को सहदायिक भी माना जावे तो इस 1.733 है0 भूमि मे 1/3 हिस्सा अर्थात 0.578 है0 भूमि की सीमा तक ही अपीलांट सं. 1 को निषिद्ध किया जा सकता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य का बिना अवलोकन किये कुल 3.128 है0 भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। जबकि रेस्पो0 के कथनानुसार एवं प्रस्तुत रिकार्ड तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अपीलांट सं. 1 जो अपीलांट सं. 2 व रेस्पो0 सं. 1 का पिता है, के नाम कुल 5.539 है0 आराजी थी जो अपीलांट सं. 1 को अपने पिता यानि रेस्पो0 सं. 1 व अपीलांट सं. 2 के दादा मलसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है जो पैतृक भूमि होनी सिद्ध है।

6. उपरोक्त कुल 5.539 है0 भूमि मे से अपीलांट सं. 1 द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.06.2004 चक 21 एएमपी की 0.881 है0 आराजी बेचान की, उसके उपरांत चक 15 एमजेडी की 0.337 है0 आराजी जरिये बैयनामा दिनांक 19.04.2012 बैय की, उसके उपरांत चक 15 एमजेडी मे 0.675 है0 आराजी जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 25.05.2009 बैय की। इस प्रकार अपीलांट सं. 1 द्वारा कुल 1.893 है0 कुल आराजी बैचान कर दी गई जिसके उपरांत दिनांक 12.05.2014 के अनुसरण मे जीतसिंह के नाम 3.466 है0 आराजी जरिये खाता विभाजन डिक्री प्राप्त हुई तथा 3.466 है0 आराजी मे अपीलांट सं. 2 व रेस्पो0 सं. 1 का 1.733 है0 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत था, जिसमे अपीलांट सं. 1 द्वारा अपीलांट सं. 2 के पक्ष मे जरिये दान पत्र 1.733 है0 आराजी दान कर दी गई। वर्तमान मे जीतसिंह के नाम 1.733 है0 आराजी शेष रही है जिसकी घोषणा की वाद रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमे रेस्पो0 सं. 1 के हको का निर्धारण साक्ष्य एवं सुनवाई के उपरांत तय होना है परन्तु मूल वाद के विचाराधीन रहने के दौरान वादग्रस्त भूमि बैय, रहन या अन्य किसी तरीके से अन्तरित कर दी जाती है तो अपूर्णीय क्षति अपीलांटस को ना होकर रेस्पो0 सं. 1 को होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार किया गया जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2018 की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ